झारखण्ड वनोपज (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2020 के तहत् विभिन्न वन प्रमंडलों से प्राप्त राजस्व तथा अन्य बिन्दुओं की समीक्षा के लिए प्रधान सचिव की अध्यक्षता में दिनांक–08.12.2020 को सम्पन्न **Video Conferencing** की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–पंजी अनुसार

1. सर्वप्रथम अध्यक्ष द्वारा विभाग से संबंधित विभिन्न issues पर उपस्थित सभी सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं सभी वन प्रमंडल पदाधिकारियों से VC के माध्यम से विचार विमर्श किया गया एवं अध्यक्ष द्वारा निम्न निर्देश दिया गया :–

(i) राज्य सरकार के एक साल के कार्यकाल की कार्य अवधि दिनांक–29.12.2020 को पूर्ण हो रही है। इस अवसर पर राज्य सरकार की उपलब्धियों को राज्य की जनता के सम्मुख लाया जाना है। अतएव विभाग की उपलब्धि से किसी योजना का संबंधित शिलान्यास/उद्घाटन की सूचना यदि कोई हो तो ससमय इसकी सूचना दी जाय। यह सूचना दिनांक–11.12.2020 तक दें।

(ii) इस अवसर पर वन पट्टा का issue भी राज्य सरकार की उपलब्धि के तौर पर महत्वपूर्ण है। अतः वन अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् वन पट्टा से संबंधित विषय प्राप्त आवेदन का ससमय त्वरित नियम संगत निष्पादन में पूर्ण सहयोग दें। नवम्बर में VC में निर्देश दिया गया था। पुनः समीक्षा दिनांक–11.12.2020 को DC/DWO के साथ की जायेगी।

(iii) विषयक NGT वाद O.A. No-360/2015 के पारित न्यायादेश द्वारा राज्य के सभी जिलों के लिए DEP का निर्देश दिया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन के लिए जिला स्तर पर जिला पर्यावरण समिति गठित है एवं वरीयतम वन प्रमंडल पदाधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव नामित है। इस स्थिति में वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह उत्तरदायित्व है कि जिला के लिए DEP तैयार करने में पूर्ण सहभागी हो क्योंकि पारित आदेश के अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश मुख्य सचिव को दिया गया है एवं इसके लिए मुख्य सचिव का physical appearance किया गया है।

(iv) Wetland के संरक्षण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय NGT में वाद दायर है एवं Wetland के संरक्षण पर नियमित आदेश पारित किए जाते रहे हैं। Wetland के संरक्षण हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में नियमावली अधिसूचित किया गया है।

अतः राज्य के Wetland के संरक्षण के सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी को संवेदनशील रहने की आवश्यकता है एवं पारित आदेश एवं राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन जिला मे सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(v) राज्य के सभी नदी खण्डों के along वृक्षारोपण की कार्रवाई की योजना पर अग्रतर कार्रवाई किया जाय लेकिन उक्त नदी खण्डों की जल की गुणवत्ता की भी जाँच से संतुष्ट हुआ जाए कि जल के BoD, PH आदि का मानक Permissible limit में हो।

3972
10/12/2020

(vi) Operational Coal Block के Clearance में तत्परता रखी जाय अनावश्यक बाधा create न किया जाय।

(vii) PM Portal की शिकायत वन भूमि अतिक्रमण, वृक्ष पातन, प्रदूषण आदि विषयों के Grievances पर व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता है। तत्संबंधी अनुपालन के निमित्त आवश्यक कार्रवाई नियमित रूप से किया जाय।

(viii) वन भूमि अतिक्रमण से संबंधित समाचार नियमित समाचार पत्रों में आती रहती है जिससे विभाग की छवि धूमिल होती है। अतः इस प्रकार के मामलों को स्वतः संज्ञान में लेकर विधिसम्मत कार्रवाई की जाय ताकि आमलोगों को विभाग के प्रति गलत संदेश न जाए।

(ix) क्षतिपूरक वनरोपण के रूप में प्राप्त गैर वनभूमि को आरक्षित वन/सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचना निर्गत करने हेतु तत्परता से कार्रवाई की जाय जिससे कि वनभूमि संरक्षित रहे।

2. अध्यक्ष द्वारा झारखण्ड वनोपज (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2020 के कार्यान्वयन में खनिज संपदा के परिवहन से विभिन्न वन प्रमंडलों को होने वाली राजस्व प्राप्ति के संबंध में मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड से प्राप्त राजस्व प्रतिवेदन माह नवम्बर 2020 (दिनांक–01.11.2020 से 30.11.2020) की समीक्षा की गई है जिसका फलाफल निम्न है :–

(i) माह नवम्बर 2020 का राजस्व संग्रहण 3877.34548 लाख रूपये का है। अक्टूबर, 2020 का राजस्व संग्रहण 1618.61922 लाख रूपये का है।

(ii) प्रश्नगत नियमावली के तहत् राजस्व संग्रहण मे विभिन्न 13 प्रमंडलों यथा–सिमडेगा, लोहरदगा, पोड़ाहाट, कोल्हान, गिरिडीह पूर्वी, गिरिडीह पश्चिमी, हजारीबाग पूर्वी, चतरा उत्तरी, कोडरमा, गढ़वा दक्षिणी, गढ़वा उत्तरी, दुमका एवं जामताड़ा वन प्रमंडल का प्रतिवेदन शून्य है, जबकि इन वन प्रमंडलों में से कई वन प्रमंडलों में कोल माईन्स, बॉक्साईट माईन्स, Soft Coke, Hard Coke आदि से संबंधित Industry है।

(iii) रामगढ़, हजारीबाग पश्चिमी, देवघर, गोड्डा, धनबाद, लातेहार आदि वन प्रमंडलों का राजस्व संग्रहण भी काफी कम है। कोयले का वास्तविक dispatch के आधार पर राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित की जाय। गोड्डा/देवघर/लातेहार अत्यंत खराब स्थिति में है। प्रगति पूर्णतः असंतोषजनक है।

3. अध्यक्ष द्वारा झारखण्ड राज्य की आर्थिक स्थिति के बेहतरी के लिए राजस्व संग्रहण में रूचि नहीं दिखाये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक और सभी वन प्रमंडल पदाधिकारयों को निम्न निर्देश दिया गया :–

(i) दिनांक–15.12.2020 के विभाग की समीक्षा बैठक में राजस्व संग्रहण विशेष चर्चा का बिन्दु हो सकता है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसे काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। राजस्व की वसूली मात्र 50% ही हो रहा है। अतएव राजस्व संग्रहण में किसी भी स्तर पर कोताही न बरती जाय एवं 100% राजस्व की वसूली सुनिश्चित किया जाय एवं दिनांक–13.12.2020 तक माह अक्टूबर, नवम्बर एवं माह दिसम्बर का अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

3972
10/12/2020

(ii) जिन वन प्रमंडलों का प्रतिवेदन शून्य है अथवा कम है उन प्रमंडलों पर क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाय। वन प्रमंडल पदाधिकारी को विशिष्ट निर्देश दिया जाय तथा अनुपालन की स्थिति संतोषजनक नहीं होने के स्थिति में पदाधिकारी को चिन्हित करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक को सूचित किया जाय।

(iii) राजस्व संग्रहण में दोषी एवं लापरवाह पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड द्वारा दिया जाएगा। विशेषकर कोल कम्पनियों से अनुपालन न कराने वाले वन प्रमंडल पदाधिकारियों से विभागीय पत्रांक–3611 दिनांक–12.11.2020 एवं ज्ञापांक–3613 दिनांक–12.11.2020 के आलोक में स्पष्टीकरण पूछा जाय।

(iv) मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम (नोडल पदाधिकारी), झारखण्ड, राँची झारखण्ड वनोपज (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2020 को राज्य में प्रभावी ढ़ंग से लागू करने के लिए सशक्त जिम्मेवारी का निर्वहन करें।

(v) Forest Area का तात्पर्य Notified Forest + जंगल–झाड़ी है। यह बिन्दु भी देखा जाय।

(vi) नोडल पदाधिकारी, सभी वन प्रमंडल पदाधिकारियों से VC के माध्यम से राजस्व संग्रहण की सप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित करें तथा इस कार्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड का सहयोग प्राप्त किया जाय।

4. खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड द्वारा अक्टूबर 2020 का Major Mineral dispatch का ब्यौरा दिया गया है, इससे स्पष्ट है कि मात्र कोयले से वसूलनीय राशि अद्यतन अक्टूबर–नवम्बर की वास्तविक कुल वसूली को दो (2) गुणा से ज्यादा होना चाहिए। ब्यौरा निम्न है :–

क्र० सं०	Mineral	लीज	QT (MT)	अनुमानित ट्रांजिट शूल्क (करोड़)
(i)	कोयला	73	87.95 लाख	रू० 49.25 (100% FP)
(ii)	आयरन ओर	7	22.82 लाख	रू० 7.68 / 12.80 (60% F Cover) (100% FP)
(iii)	बाक्साइट	12	1.59 लाख	(DFOs लातेहार / लोहरदगा / गुमला ने बताया कि यह Non Forest Area है)

5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड ने Non Mineral activities "Zero" कई जिलों में प्रतिवेदित है, इस पर अप्रसन्नता व्यक्त किया। विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।

3972
10/12/2020

6. वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण्डा ने कतिपय Support की माँग किया, लिखित स्पष्ट प्रस्ताव नोडल पदाधिकारी को 10 दिन में भेजे। अन्य पदाधिकारी भी आवश्यकतानुसार प्रस्ताव दे जो राजस्व वसूली में अनिवार्य हो।

7. वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला ने Gold Mines का issue flag किया उन्हे निर्देश दिया गया कि specific reference writing में प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भेजे।

8. कोई doubt हो तो specific reference नोडल पदाधिकारी को भेजे जो सक्षम स्तर से आदेश प्राप्त कर निष्पादन करेंगे।

9. Coal- 100% forest produce माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में है। Clarification निर्गत है। इससे संबंधित कोई अनुरोध वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा स्वीकार न किया जाय। CIL-CCL/ECL/BCCL सम्भवतः इसका लाभ ले रहे हैं, सख्ती किया जाय। 100% recovery किया जाय।

10. ECL द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर की सूचना वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर ने दिया है। मात्र न्यायादेश का पालन हो। मात्र Writ दायर करने से वसूली अप्रभावित रहेगी।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

10/12/2020

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–06 / रा०व्या०–04 / 2020– 3972 व०प०, रांची, दिनांक– 10/12/2020

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड / मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम (नोडल पदाधिकारी), झारखण्ड, राँची / सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/12/2020
(मितरंजु कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–06 / रा०व्या०–04 / 2020– 3972 व०प०, रांची, दिनांक– 10/12/2020

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची को विभागीय Website "*www.forest.jharkhand.gov.in*" पर Upload करने हेतु प्रेषित।

10/12/2020
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–06 / रा०व्या०–04 / 2020– 3972 व०प०, रांची, दिनांक– 10/12/2020

प्रतिलिपि–विभागीय विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट प्रशाखा, वनभूमि प्रशाखा एवं पर्यावरण विकास प्रशाखा) / अवर सचिव (वन्यप्राणी प्रशाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/12/2020
सरकार के अवर सचिव